[1][Rule 6 : Supply of services attributable to different states/Union Territories u/s 12(11)

The supply of services attributable to different States or Union territories, under sub section (11) of section 12 of the said Act, in the case of supply of services relating to a leased circuit where the leased circuit is installed in more than one State or Union territory and a consolidated amount is charged for supply of such services, shall be taken as being in each of the respective States or Union territories, and in the absence of any contract or agreement between the supplier of service and recipient of services for separately collecting or determining the value of the services in each such State or Union territory, as the case maybe, shall be determined in the following manner, namely:-

(a) The number of points in a circuit shall be determined in the following manner:

(i) in the case of a circuit between two points or places, the starting point or place of the circuit and the end point or place of the circuit will invariably constitute two points;

(ii) any intermediate point or place in the circuit will also constitute a point provided that the benefit of the leased circuit is also available at that intermediate point;

(b) the supply of services shall be treated as made in each of the respective States or Union territories, in proportion to the number of points lying in the State or Union territory.

Illustration 1: A company T installs a leased circuit between the Delhi and Mumbai offices of a company C. The starting point of this circuit is in Delhi and the end point of the circuit is in Mumbai. Hence one point of this circuit is in Delhi and another in Maharashtra. The place of supply of this service is in the Union territory of Delhi and the State of Maharashtra. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 1:1 in the Union territory of Delhi and the State of Maharashtra, respectively.

Illustration 2: A company T installs a leased circuit between the Chennai, Bengaluru and Mysuru offices of a company C. The starting point of this circuit is in Chennai and the end point of the circuit is in Mysuru. The circuit also connects Bengaluru. Hence one point of this circuit is in Tamil Nadu and two points in Karnataka. The place of supply of this service is in the States of Tamil Nadu and Karnataka. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 1:2 in the States of Tamil Nadu and Karnataka, respectively.

Illustration 3: A company T installs a leased circuit between the Kolkata, Patna and Guwahati offices of a company C. There are 3 points in this

1 Rule 6 inserted by Noti. No. 04/2018–Integrated Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 01-01-2019.

circuit in Kolkata, Patna and Guwahati. One point each of this circuit is, therefore, in West Bengal, Bihar and Assam. The place of supply of this service is in the States of West Bengal, Bihar and Assam. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 1:1:1 in the States of West Bengal, Bihar and Assam, respectively.**]**

[1][नियम 6 : धारा 12(11) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति

उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (11) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति, लीज्ड सर्किट के संबंध में सेवाओं की पूर्ति की दशा में जहां लीज्ड सर्किट एक या एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संस्थापित किए जाते है और ऐसी सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम भारित की जाती है वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रुप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रुप से संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :

(क) सर्किट में बिन्दुओं की संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी :

(i) सर्किट के दो स्थानों या बिन्दुओं के बीच होने की दशा में सर्किट का आरंभिक स्थान या बिन्दु और सर्किट का अंतिम स्थान या बिन्दु सदैव दो बिन्दु गठित करेंगे;

(ii) बिन्दु या सर्किट में कोई मध्यवर्ती बिन्दु या स्थान भी बिन्दु गठित करेंगे बशर्ते लीज्ड सर्किट का फायदा उस मध्यवर्ती बिन्दु पर भी उपलब्ध है;

(ख) सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पड़ने वाले बिन्दुओं की संख्या के अनुपात में किया गया समझा जाएगा।

दृष्टांत 1 : कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के दिल्ली और मुम्बई कार्यालय के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है। इस सर्किट का आरंभिक बिन्दु दिल्ली में है और सर्किट का अंतिम छोर बिन्दु मुम्बई है। इसलिए इस सर्किट का एक बिन्दु दिल्ली में है और दूसरा बिन्दु महाराष्ट्र में है। इस सेवा के प्रदाय का स्थान दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य में है इस सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे क्रमशः दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य में 1:1 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है।

दृष्टांत 2 : कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के चेन्नई, बेंगलुरु और मैसुरु कार्यालयों के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है। इस सर्किट का आरम्भिक बिन्दु चैन्नई में है और सर्किट का अंतिम छोर मैसुरु में है। सर्किट बेंगलुरु को भी जोड़ता है। अतः, सर्किट का एक अंतिम छोर बिन्दु तमिलनाडु में है और दो बिन्दु कर्नाटक में है। इस सेवा के प्रदाय का स्थान तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में है। इस सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसें क्रमशः तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में 1:2 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है।

दृष्टांत 3 : कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के कोलकाता, पटना और गुवाहटी कार्यालयों के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है। कोलकाता, पटना और गुवाहटी के इस सर्किट में 3 बिन्दु हैं। अतः, इस सर्किट का हर एक बिन्दु पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में है। इस सेवा के प्रदाय का स्थान पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम राज्यों में है। सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे क्रमशः पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में 1:1:1 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है।

---

1 नियम 6 अधिसूचना क्रमांक 4/2018–एकीकृत कर, दिनांक 31.12.2018 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावषील दिनांक 01.01.2019)।
राजपत्र में शीर्षक नहीं दिये गये है। शीर्षक लेखक द्वारा दिये गये है।